



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 66-अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2017-06-विविध(2ब) / 2017

दिनांक: 31 जुलाई, 2017

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/अभि0सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शिवानन्द वर्मा (अ0पि0व0) 86051/मिर्जापुर 31.12.2017	सहायक अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता, लेसा, लखनऊ।	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

2- परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के बिन्दु-7(क) द्वारा प्राविधानित व्यवस्थानुरूप श्री शिवानन्द वर्मा (86051) को दिनांक 23.02.2017 को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक में चयनित उनसे आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री विशम्बर सिंह (अनु0जा0) (92121) की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश दिनांक 07.04.2017 से अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900-प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

7- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

8- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

कमश:.....2.....



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

-: 2 :-

**संख्या: 66(1)अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2017 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० ऊर्जा/ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशन का०लि०।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- उप सचिव (प्रशिक्षण)/गोपन, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

2pm  
31/7/17